राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(13)नविवि / जयपुर / 2016 जयपुर, दिनांक :– 17 JUL 2018

अधिसूचना

एकीकृत भवन विनियम, 2017 के विनियम 8.10 (VII) के पश्चात निम्न प्रावधान जोड़ा जाता है :–

8.10 (VIII) जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण / नगर निगम के क्षेत्र में 40 मीटर से अधिक एवं नगर विकास न्यास / अन्य समस्त स्थानीय निकायों के क्षेत्र में 30 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों के मानचित्रों का अनुमोदन राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त अनुज्ञेय होगा।

8.10 (IX) मुख्यमंत्री जन–आवास योजना–2015 के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों हेतु संबंधित जयपुर, जोधपुर एव अजमेर विकास प्राधिकरण / नगर निगम के क्षेत्र में 40 मीटर एवं संबंधित नगर विकास न्यास / अन्य समस्त स्थानीय निकायो के क्षेत्र मे 30 मीटर तक ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु एम्पैनेल्ड आर्किटेक्टस अधिकृत होंगे। इससे अधिक ऊँचाई प्रस्तावित होने पर मुख्ममंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत् गठित निकाय स्तरीय प्रोजेक्ट एपूर्वल कमेटी को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु अधिकृत होंगे।

आज्ञा से,

ह.
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि कृपया इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर प्रकाशित अंक की एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. एम्पैनल्ड आर्किटेक्टस, समस्त।
12. रक्षित पत्रावली।

16/7/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम